

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना
सं०. 47 /2020- सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई, 2020

का.आ. (अ).-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (2) में संदर्भित कारण बताओ नोटिसों में न्याय निर्णयन करने के उद्देश्य से, इसी सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित नोटिसी के मामले में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में संदर्भित अधिकारियों को दिये गए या सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
मै से सत्नाम स्टील्स, राजकोट	F.No. VIII/10- 21/Commr/O&A/2018 दिनांक 18.01.2019	संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क (प्रिवेंटिव), जामनगर	प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, मुद्रा, 5B, पोर्ट यूजर बिल्डिंग, अदानी पोर्ट, मुद्रा, कच, गुजरात- 370421
	F.No. S/15-59/Enq- Satnamsteel/SIIB- C/CHM/2018-19 दिनांक 24.06.2019	प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, मुद्रा	

[फा° सं° 437/05/2019- सीमाशुल्क IV]

गौरव सिंह

(गौरव सिंह)
उप सचिव (टीआरयू)